भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4457
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस का प्रभावगत आकलन

4457. श्री चंदन चौहानः
श्री बसवराज बोम्मईः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री जगदम्बिका पालः
श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भौतिक पायलट लाइसेंस से इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) में परिवर्तन के संबंध में कोई प्रभावगत आकलन किया गया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ईपीएल के कार्यान्वयन से पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ग) डिजिटल पायलट लाइसेंस की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने तथा संभावित दुरुपयोग या धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार को ईपीएल के कार्यान्वयन के संबंध में एयरलाइनों, पायलट संघों या अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों से कोई प्रतिक्रिया मिली है; और
(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके जवाब में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) को कार्मिक लाइसेंसिंग पर आईसीएओ अनुलग्नक 1 और दस्तावेज़ 9379 - राज्य के कार्मिक लाइसेंसिंग प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं के मैन्युअल में निर्धारित अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के नियमों के अनुरूप जारी किया गया है। भारत में ईपीएल को आईसीएओ के अनुमोदन के साथ दिनांक 20 फरवरी, 2025 को आरंभ किया गया है।

ईपीएल क्रियान्वयन कुछ लाभ प्रदान करता है जैसे–

(i) निर्बाध, कुशल और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत फ्लाइट क्रू लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क;

(ii) वास्तविक समय अपडेट

(iii) पर्यावरण और लागत संबंधी लाभ

(iv) सुव्यवस्थित सत्यापन के साथ वैश्विक स्तर पर भारतीय पायलटों को सशक्त बनाना;

(v) ईजीसीए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा कहीं भी, कभी भी पायलट लाइसेंस तक पहुँच

तदनुसार, ईपीएल के सत्यापन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) इंडिया जॉब एड, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शीर्षक के अंतर्गत आईसीएओ वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। आईसीएओ ने आवश्यक अपेक्षाओं जैसे ब्लूप्रिंट, रोडमैप, कार्ड लाइसेंस से ईपीएल में परिवर्तन की चुनौतियों आदि के अनुपालन पर जॉब एड प्रकाशित किया था। उपर्युक्त सभी कार्य आईसीएओ ईपीएल कार्यदल के साथ कई चर्चाओं के पश्चात किए गए हैं।

भारत द्वारा ईपीएल की सुरक्षा विशेषताएं आईसीएओ अनुलग्नक 1 के विनिर्देशों के पूर्णतया अनुरूप हैं, जिनमें गतिशील और स्थैतिक दोनों सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

(घ) और (ङ) **:** हितधारक परामर्श के भाग के रूप में, चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए मसौदा योजना के साथ सार्वजनिक नोटिस दिनांक 5 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं और तत्पश्चात प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आईसीएओ और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारत द्वारा सभी अन्य आईसीएओ अनुबंधित राष्ट्रों को निरीक्षकों द्वारा सत्यापन के लिए क्रियान्वयन और लागू प्रक्रियाओं के संबंध में जॉब एड का विवरण प्रसारित किया गया है।

******